

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

याकर खां

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :- वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट
30/16 व 2016/00010

मु.नं. एवं सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13.03.2020	<p>पत्रावली पे 1 हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी को नियमन बाबत सबूत पे 1 करने हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। राजपैरोकार ने निवेदन किया कि वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणात्मक दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वादी/प्रार्थी चाहे तो बहाली अथवा नियमानुसार नियमन द्वारा आवंटन/खातेदारी प्राप्त कर सकता है। अतः पत्रावली/वाद प्रतिकूल कब्जा के आधार घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने का वादी विधिक अधिकारी नहीं है तथा वाद प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। बहस के जबाब में वकील वादी ने निवेदन किया कि मुझे बहाली/नियमन बाबत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन हेतु समय दिया जावे। बहस सुनी गयी। प्रस्तुत वाद एडवर्स पजे इन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत होने के कारण विधि द्वारा बाधित है। अतः वकील वादी के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	